राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः प. 25(1) एम.ई./ग्रुप-1/2018 जयपुर, दिनांकः 3/5/18

1.सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
नेल्सन मंडेला मार्ग,
पाकेट-10, सेक्टर-बी,
वसंत कुंज,नई दिल्ली 110070

2.रजिस्ट्रार कम सेकेट्री,
फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
कम्बाईण्ड काउन्सिल बिल्डिंग, कोटला रोड,
आईवन -ई-गालिब मार्ग, नई दिल्ली।

विषयः- शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में डी-फार्मेसी एवं बी-फॉर्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नये संस्थान को निरापत्ती प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार सत्र 2018-19 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले फार्मेसी संस्थानों के लिये उनके सामने अंकित प्रवेश क्षमता एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

No.	Name of the Trust/Society	Name of the proposed Institute	Intake Capicity	Session for which NOC sought	course
1	गुरुकुल शिक्षण संस्थान सीकर,राजस्थान	शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी ,सर्किट हाऊस के पीछे जयपुर रोड, सीकर,राजस्थान।	60	2018-19	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी0 फार्मा)
2	गुरुकुल शिक्षण संस्थान सीकर,राजस्थान	शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी ,सर्किट हाऊस के पीछे जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान।	120	2018-19	बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी0 फार्मा)

सूचित होवें कि उपरोक्त के अलावा निजी क्षेत्र में फार्मेसी संस्थान स्थापित किये जाने के अन्य प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हैं।

आशय पत्र/नियपत्ती प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी किया जाता है:-

1. ट्रस्ट/संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम तथा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा एवं राज्य की नीति के अनुसार आरक्षण की पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्थान को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा प्रथम वर्ष की कक्षाऐं चलाने के लिये भवन उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट बाध्य होगी।
5. संस्थान को परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।
6. संस्थान स्थापना में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति पत्र वापिस लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

3/5/18

7. संस्थान में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करावे की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी। सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त संस्थान के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार कोई अनुदान उपरोक्त संस्थान को देय नहीं होगी।
9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना चाहने पर राज्य सरकार की निरीक्षण द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण समिति को वांछित समस्त सुविधाऐं प्रदान करने की संस्थान की जिम्मेदारी होगी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी अभिशंषा परिषद को भिजवायेगी।
10. सम्पूर्ण योजना की अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की आर्थिक समक्षता होना आवश्यक हैं।
11. परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिये संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्थान द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराना आवश्यक होगा।

भवदीय

3/5/18

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय (चिकित्सा शिक्षा)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
6. उप निदेशक (एके0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
7. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज सीकर।
8. सचिव, गुरूकुल शिक्षण संस्थान सीकर, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव